न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
वासगीत पर्चा वाद संख्या–29/05–06
चौधरी गोपाल जी राय बनाम त्रिवेणी पंडित एवं अन्य

आदेश की कम संख्या और तारिख :	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारिख सहित
27/03/15	**आदेश** अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक के अनुपस्थित रहने के कारण इस न्यायालय द्वारा दिनांक–12.03.2011 को पारित आदेश से आवेदक को अगली तिथि को निश्चित रूप से अपना पक्ष रखने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त तिथि के बाद से आवेदक के अनुपस्थित रहने के कारण इस न्यायालय द्वारा दिनांक–24.10.11 को पारित आदेश से उन्हें निदेशित किया गया था कि वे अगली तिथि को उपस्थित रहकर अपना पक्ष रखें अन्यथा उन्हें अपना पक्ष रखने से वंचित करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त करने का आदेश पारित किया गया था। पुनः दिनांक–24.12.11 को भी उभय पक्ष के अनुपस्थित रहने के कारण इस कार्यवाही में पक्ष रखने हेतु अंतिम मौका दिया गया था। उक्त तिथि से आवेदक लगातार अनुपस्थित चले आ रहे है। आवेदक द्वारा न तो इस कार्यवाही में पारित आदेश का अनुपालन करते है, और न ही इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखते है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को इस कार्यवाही में कोई रूचि नही रह गयी है, जिस कारण इस कार्यवाही को चलाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अतएव इस कार्यवाही में गुण दोष की जॉच किये बिना ही आवेदक के पैरबी के अभाव में इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। 27/3/15 समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा।	